

FIRST INFORMATION REPORT

Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District

ACB DISTRICT

(ज़िला):

P.S.

C.P.S Jaipur

(पोस्ट):

Year

2024

(वर्ष):

2. FIR No.

0202

Date and Time of FIR  
(एफआईआर की तिथि/समय):

13/09/2024 19:01 बजे

S.No.

(क्र.सं.)

Acts  
(अधिनियम)

Sections  
(धाराएं)

1	शराबार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
2	शराबार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भा दं सं 1860	120-B
4	भा दं सं 1860	193

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन

Date From

03/08/2011

(दिनांक से):

Time Period  
(समय अवधि):

पहर

Time From

11:50 बजे

(समय से):

(b) Information received at P.S.

(भाता जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date

13/09/2024

(दिनांक):

(c) General Diary Reference

(रोजनामचा संदर्भ):

Entry No.

002

(प्रविष्टि सं.):

लिखित

4. Type of Information (सूचना का प्रकार):

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.

(भात से दिशा और दूरी):

NORTH-WEST, 70 फीस

Beat No.

(बीट सं.):

(b) Address(पता): UPNIVESHAN TEHSIL RAMGARH-2, DIST. JAISALMER

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(यदि भाता सीमा के बाहर है तो)

Name of P.S

(भाता का नाम):

District(State)

(ज़िला (राज्य)):

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

S.No.	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HAWA SINGH		पिता:RAMURAM	1. GRAM/POST KASIMPURA VAYA BAGAD, JHUNJHUNU, RAJASTH
2	RAJENDRA PRASAD SHARMA		पिता:MOHANLAL SHARMA	1. POST DUDHVA KHARA, CHURU, RAJASTHAN, IN
3	NARENDRA KUMAR JAIN		पिता:NATHULAL JAIN	1. DHRIYAWAD, PRATAPGARH, RA
4	SARDARMAL BHOJK AND OTHERS		पिता:SOHANLAL BHOJK	1. VAGEENADA ROAD RANI BAZAR, BIKANER, RAJASTHAN, I

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

(i) Phone number (दूरभाष नं.):  
Mobile (मोबाइल नं.):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	101, TRIMURTI APARTMENT, MALVIYA NAGAR, MALVIYA NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	101, TRIMURTI APARTMENT, MALVIYA NAGAR, MALVIYA NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(i) Address (पता):

(h) Occupation (व्यवसाय):

S.No.	Id Type	Id Number

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण) (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारंपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):  
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(e) UID No (यूआईडी सं.):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):

1962

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAM NARAYAN

(a) Name (नाम): MAHAVEER SINGH

9. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी  
I.I.F.-1/एकीकृत वर्च फार्म-1

महोदय, निवेदन है कि परिवारी श्री महोदय सिंह अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सर्वकार) बीकानेर द्वारा श्री देवासिंह पटवारी, पटवार देल्का देसुवाल, उपनिवेशन तहसील रामगढ नम्बर 02 जिला जैसलमेर द्वारा की गयी विनियम अनियमितता के संबन्ध में श्री कन्हैयालाल पटवारी, श्री उमराम तहसील राजस्व लेखाकार एवं श्री शेराराम तहसीलदार से जांच करवाई जाकर जांच रिपोर्ट वास्तु अश्रीम कायवाड़ी ब्यूरो मुख्यालय भुवनेश्वर की गयी जिसके द्वारा निम्नानुसार है श्री देवासिंह पटवारी, पटवार देल्का देसुवाल पर पदस्थान अवधि के दौरान पटवार देल्का के चक नम्बर 30 एनटीएम, 31 एनटीएम ए, 31 एनटीएम बी, 32 एनटीएम तथा 7 बी आई एम के कुल 31 प्रकार कमच: 1. श्री पदमसिंह एवं नकवासिंह राजपुत निवासी सलखा जिला जैसलमेर के चक 30 एनटीएम के मुर्खा नम्बर 155/20, 28, 2. श्री आमसिंह एवं शिवदानसिंह निवासी सलखा को चक 30 एनटीएम मुर्खा नम्बर 155/20 3. श्री भवसिंह एवं श्रीकारसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/35, 5. श्री दीरसिंह एवं श्रीकारसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/18, 6. श्री बाबुसिंह एवं वेजमानसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/34, 7. श्री बेरुसिंह एवं दीरसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/28 8. श्री केशसिंह एवं निरधारसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/25 9. श्री तनेरवासिंह एवं समर्थसिंह राजपुत निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/5 10. श्री कसुरचन्द एवं भवसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 154/56 11. श्री चतुरसिंह एवं श्रीकारसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 154/29 13. श्री जंशाराम एवं कालाराम जाति भववाल निवासी सिहडार को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 154/29 13. श्री नरेवरराम एवं सुजाराम जाति भववाल निवासी सिहडार जो चक 30 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 154/37 14. श्री पठनाराम एवं शंकराराम जाति भववाल निवासी सिहडार चक 30 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 154/45 15. श्री अमरसिंह एवं भवसिंह राजपुत निवासी आकल जिला जैसलमेर को चक 30 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 154/39, 40 16. श्री नरसिंह एवं आसिंह राजपुत निवासी आकल जिला जैसलमेर को चक 30 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 154/40, 155/33 17. श्री चन्दनसिंह एवं अश्वसिंह राजपुत निवासी देवर जिला जैसलमेर को चक 31 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 153/54, 55 18. श्री चतुरसिंह एवं बाकसिंह राजपुत निवासी सला चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 134/41, 43 19. श्री तनेसिंह एवं शिवसिंह निवासी सला को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 134/37 20. श्री जवानसिंह एवं गनसिंह निवासी मुठठाड को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 133/60 21. श्री सवाईराम एवं बेजाराम बेनदार निवासी सला को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 134/38, 39 22. श्री हिकमराम एवं गुलछाराम भववाल निवासी सिहडार को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 134/59, 154/03 23. श्री शेराराम एवं कालाराम भववाल निवासी सिहडार को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 133/56 25. श्री सरीका खां एवं श्रीरे खां निवासी जैसलमेर को चक 32 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 135/30, 31 26. श्री अल्लादीन एवं अवास खां मुसलमान निवासी जैसलमेर को चक 32 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 135/35, 28 श्री जीवा खां एवं रमजान खां एवं सुरतान खां निवासी देसुआ को चक 32 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 116/53, 45 29 श्री रहीम खां एवं मीरुण खां को मुसलमान निवासी जैसलमेर को चक 32 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 116/43, 44 30. श्री

12. First information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नली करें):

S.No.	UDB Number	(क.सं.)	(यू.आई.डी.बी. संख्या)
-------	------------	---------	-----------------------

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मुख्य समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.केस नं., यदि कोई हो):

10. Total value of property stolen (in Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):

11,92,576.00

1	सिद्ध और मुद्रा	रुपय	11,92,576.00
S.No.	Property Category	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)
(क.सं.)	(सम्पत्ति श्रेणी)		Value (in Rs-)
			(मूल्य(रु में))

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित संपत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नली करें):

युगम खां पुत्र अदरीम खां मिर्साही निवासी आकल को 7 बी आई एम के मुर्खा नम्बर 137/20 31. श्री राण खां पुत्र अदरीम खां पुत्र अदरीम खां मिर्साही निवासी आकल को 7 बी आई एम के मुर्खा नम्बर 116/43,44 (30). श्री युगम खां पुत्र अदरीम खां मिर्साही निवासी आकल को 7 बी आई एम के मुर्खा नम्बर 116/53, 45 (29). श्री रहीम खां पुत्र मीरज खां मुसलमान निवासी हासुआ को मुसलमान निवासी जैसलमेर को चक 32 एन टी खां पुत्र सुरान खां निवासी हासुआ को मुसलमान निवासी जैसलमेर को चक 32 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 116/53, 45 (29). श्री रहीम खां पुत्र मीरज खां मुसलमान निवासी हासुआ को मुसलमान निवासी जैसलमेर को चक 32 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 135/35, (28) श्री जीवण खां पुत्र रमजान खां मुसलमान निवासी जैसलमेर को चक 32 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 135/30, (27) श्री ज़ुम्न खां पुत्र मीरे अख्तास खां मुसलमान निवासी जैसलमेर को चक 32 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 135/30, (27) श्री ज़ुम्न खां पुत्र मीरे खां पुत्र मीरे खां निवासी जैसलमेर को चक 32 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 135/30, 31 (26). श्री अल्तादीन पुत्र मीराराम पुत्र राणाराम हेरुटी निवासी बजोडा गांव को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 133/56 (25). श्री सरीफा श्री सूराराम पुत्र कालाराम मेघवाल निवासी सिहेंडर को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 154/02,03 (24). श्री हुकमाराम पुत्र तुलछाराम मेघवाल निवासी सिहेंडर को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 134/59, 154/03 (23). श्री सबाइराम पुत्र तेजाराम बेनदर निवासी सगा को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 134/38,39 (22). श्री 134/37 (20). श्री जवानसिंह पुत्र नैनसिंह निवासी मुंडाड को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 133/60 (21). मुर्खा नम्बर 134/41,43 (19). श्री नैनसिंह पुत्र खवासिंह निवासी सगा को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 134/37 (20). श्री जवानसिंह पुत्र नैनसिंह निवासी मुंडाड को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 153/54,55 (18). श्री चतरसिंह पुत्र बांकसिंह राजपुत निवासी सगा चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 154/40, 155/33 (17). श्री चन्दनसिंह पुत्र अखसिंह राजपुत निवासी हेरुट जिना जैसलमेर को चक 31 एन टी एम बी के मुर्खा नम्बर 154/39,40, (16). श्री नगसिंह पुत्र आसुसिंह राजपुत निवासी आकल जिना जैसलमेर को चक 30 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 154/45 (15). श्री अमयसिंह पुत्र मथरसिंह राजपुत निवासी आकल जिना जैसलमेर को चक 30 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 154/37, (14). श्री पठाराम पुत्र षकाराम जाति मेघवाल निवासी सिहेंडर चक 30 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 154/29, (13). श्री नरेवराम पुत्र सुजाराम जाति मेघवाल निवासी सिहेंडर जो चक 30 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 154/55, (12). श्री खाराम पुत्र कालाराम जाति मेघवाल निवासी सिहेंडर को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 154/56, (11). श्री चतरसिंह पुत्र औकारसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/15 (10). श्री कर्तुरचन्द पुत्र शंवरसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/25, (9). श्री ननरवासिंह पुत्र समथसिंह राजपुत निवासी जेठसिंह पुत्र हीरसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/35, (5). श्री हीरसिंह पुत्र औकारसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/18, (6). श्री बाबूसिंह पुत्र तेजमालसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/34, (7). श्री एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/35, (5). श्री हीरसिंह पुत्र औकारसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/27, (4). श्री देरवरसिंह पुत्र खिचनसिंह निवासी सलखा को चक 30 एन टी एम मुर्खा नम्बर 155/20 (3). श्री मेघसिंह पुत्र औकारसिंह निवासी नकवासिंह राजपुत निवासी सलखा जिना जैसलमेर के चक 30 एन टी एम के मुर्खा नम्बर 155/20,28, (2). श्री आमसिंह नम्बर 30 एन टी एम, 31 एन टी एम, 32 एन टी एम तथा 7 बीआईएम में (1). श्री पदसिंह पुत्र संस्थापन किया गया तो पाया गया कि पदवार हल्का हासुआला उपनिवेश नम्बर 2 जिना जैसलमेर के चक जिना जैसलमेर के विरुद्ध प्राथमिक जांच संख्या 10/2021 दिनांक 22.12.2021 दर्ज की जाकर प्राथमिक जांच का दिनांक 08.10.2021 द्वारा आरोपी श्री हवासिंह पटवारी पदवार हल्का हासुआला उपनिवेश नम्बर 2 जिना जैसलमेर की उक्त जांच रिपोर्ट पर सूर्य मुख्यालय जयपुर पत्रांक धनिबरी/गं जा/पति/2021/11769-71 (सकत) बीकानेर की उक्त जांच रिपोर्ट पर सूर्य मुख्यालय जयपुर पत्रांक धनिबरी/गं जा/पति/2021/11769-71 22,71,076 रूपये के राजस्व की हानि राजकोष को पहुँचाई गई है। श्री महावीरसिंह अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन 10,78,500 रूपये तथा पर दिनांक 11.08.2021 तक देय ब्याज राशि 11,92,576 रूपये इस तरह कुल राशि राजस्व फिकोर्ड के तथ्य छुपाकर फिकोर्ड के विपरीत गलत व कूटचालित तथ्य प्रस्तुत करने से कुल प्रीमियम राशि अक्षय में अंकन किया गया इस प्रकार श्री हवासिंह पटवारी द्वारा उपरोक्त 31 प्रकरणों में प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट में प्रीमियम राशि जमा हुए एवं निष्क खातेदारी जारी की गई। जिस पर श्री हवासिंह द्वारा ही नामान्तरण कर राजस्व द्वारा गलत कच्चा तिथी अंकित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण आवंटि को उपयुक्त उपनिवेशन जैसलमेर द्वारा जिना प्रति बीधा कमाउड तथा 1000 रूपये प्रति बीधा अनकमाउड के अनुसार प्रीमियम राशि देय श्री परन्तु श्री हवासिंह पटवारी धर्त 1999 की धर्त 09 की उप धर्त 01 के अनुसार कच्चा तिथी से 03 साल पूर्व खातेदारी प्राप्त करने हेतु देय 2000 रूपये प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.04.2000 एवं राजस्थान उपनिवेशन संघोधन आवंटियों को दिया जाने से कच्चा 03 साल पुराना नहीं होने के कारण आवंटि नियमानुसार निष्क खातेदारी अधिकारी गया जबकि फिकोर्ड के अनुसार खातेदारी प्रस्ताव वर्ष 2012 को स्थगितया गया एवं उक्त प्रीमि पर कच्चा वर्ष 2011 में पर मनगढत दलकाल व गलत तिथी अंकित करते हुए आवंटियों के कच्चा को 03 वर्ष से अधिक पुराना होना प्रमाणित किया दलकाल श्री हवासिंह पटवारी द्वारा भरा गया। आवंटि को प्रकरण में खातेदारी प्रस्ताव में वास्तविक कच्चा तिथी के स्थान अदरीम खां मुसलमान निवासी आकल 7 बी आई एम के मुर्खा नम्बर 137/28 आवंटन होने पर उन्हें कच्चा दिया जाकर युगम खां पुत्र अदरीम खां मिर्साही निवासी आकल को 7 बी आई एम के मुर्खा नम्बर 137/20 31. श्री राण खां पुत्र

सूचना नम्बर 137/20 (31). श्री राजा खान पुत्र अदरीम खान मुसलमान निवासी आकल 7 बी आई एम के मुस्ला नम्बर 137/28, कुल 31 कालकरी को आवंटित की कब्जा दिनांक/नामनतरण संख्या गलत एवं मनगढ़त गारिखे उपरोक्त कायनकारों से मिली भगत कर पटवारी श्री हवालिसिंह द्वारा अंकित कर वास्तविक कब्जा तिथि को छुपाते हुए 3 वर्ष अवधि पूर्व की कब्जा तिथि अंकित कर खतोदारी अधिकार दिनांक पटवारी द्वारा वर्ष कि गयी इस रिपोर्ट के आधार पर तत्काल राजस्व लेखाकार श्री राजेन्द्र शर्मा, श्री नरेन्द्र कुमार, एवं अन्य टीआरए द्वारा पटवारी हवालिसिंह द्वारा अंकित तिथि को ही खतोदारी प्रस्ताव में तिथि अंकित करते हुए श्री सरदारमल शौजक तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार इगानप रामगढ़ नम्बर 2 को तहसीलदार की अधिष्ठाता हेतु खतोदारी प्रस्ताव पेश किया गया। श्री शौजक द्वारा श्री संबन्धित कृषक के आवंटन आदेश का राजस्व रिकार्ड से मिलान किया जिना ही उपरोक्तानो द्वारा अंकित रिपोर्टों के आधार पर आवंटन तिथि को ही सही मानकर कात्तकार के पक्ष में अपनी अधिष्ठाता से सहमति स्वरूप अपने हेतुआक्षर कर आवंटन अधिकांसी एवं उपयुक्त उपनिवेशन जैसलमेर को उक्त खतोदारी प्रस्ताव अिजवाया गया। प्राथमिक जांच में उपलब्ध एवं प्राप्त दस्तावेजों तथा गवाहिन श्री शूराराम तहसीलदार एवं श्री कन्हैयालाल पटवारी के बयान से पया गया कि माहे अमास 2019 में उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नंबर 2 में आन्तरिक लेखा जांच दल द्वारा पटवार मण्डल हेतुसुवाल की आंठिट की गई थी। आंठिट दल द्वारा उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नंबर 2 एवं पटवार हल्का हेतुसुवाल के रिपोर्टों की जांच के उपरान्त उपरोक्त कुल 31 आवंटितों के विरुद्ध उपनिवेशन शर्तें 1955 की शर्तें सं 9 के अनुसार पालना नही होने पर कुल 10,73,150 रु. की वसुली निकाली गई थी। क्योंकि उपनिवेशन शर्तें 1955 की शर्तें सं 9 के अनुसार आवंटि को खतोदारी सनद कब्जा देने से तीन वर्ष की अवधि से पूर्व दिये जाने की स्थिति में आवंटि से मूल आवंटन राशि के अलावा 2000 रु. प्रति बीघा कमण्ड एवं 1000 रु. प्रति बीघा अनकमण्ड की दर से प्रीमियम राशि वसूल कर खतोदारी प्रस्ताव तैयार कर उपयुक्त उपनिवेशन कायनियम में शिषित किया जाने का प्रावधान है। जिसके आधार पर ही उपयुक्त खतोदारी प्रस्ताव तैयार करना है। तत्पश्चात खतोदारी प्रस्ताव तहसीलदार के माफक सक्षम उपयुक्त उपनिवेशन कायनियम शीतर खतोदारी सनद हेतु आवंटन करने की स्थिति में अतिरिक्त प्रीमियम राशि की गणना कर वसूल करने के उपरान्त खतोदारी प्रस्ताव तैयार करना है। जिस पर सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त उपनिवेशन द्वारा खतोदारी सनद जारी की जाती है। इस प्रकार श्री हवालिसिंह पटवारी, पटवार हल्का हेतुसुवाल द्वारा कुल 31 आवंटियों से मिलीभगत कर 03 वर्ष से पूर्व की फर्जी फकरण में श्री हवालिसिंह पटवारी, पटवार हल्का हेतुसुवाल द्वारा कुल 31 आवंटियों से मिलीभगत कर 03 वर्ष से पूर्व की फर्जी कब्जा तिथि अंकित की गई है तथा उक्त फर्जी कब्जा तिथि के आधार पर ही उपनिवेशन शर्तें 1955 की शर्तें सं 9 के अनुसार आवंटि को खतोदारी सनद कब्जा देने से तीन वर्ष की अवधि से पूर्व दिये जाने की स्थिति में आवंटि से मूल आवंटन राशि के अलावा 2000 रु. प्रति बीघा कमण्ड एवं 1000 रु. प्रति बीघा अनकमण्ड की दर से राशि प्राप्त नही कर आवंटियों से मिली भगत कर श्री हवालिसिंह तत्काल पटवारी, पटवार हल्का हेतुसुवाल, श्री राजेन्द्र शर्मा, टीआरए, श्री नरेन्द्र कुमार शिगी भगत कर श्री हवालिसिंह तत्काल पटवारी, पटवार हल्का हेतुसुवाल, श्री राजेन्द्र शर्मा, टीआरए, श्री नरेन्द्र कुमार तहसील राजस्व लेखाकार एवं श्री सरदारमल शौजक, तत्कालीन तहसीलदार, उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नं 2 जिला जैसलमेर द्वारा 31 फरणों में देय प्रीमियम राशि 10,78,500 रु 0 तथा इस राशि पर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सर्वकना) बीकानेर द्वारा कराई गयी जांच दिनांक 11.08.2021 तक देय ब्याज राशि 11,92,576 रु 0 की राजकोष को राजस्व हेतु कतिरि करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पया जाता है। अतः (1) श्री हवालिसिंह पुत्र श्री रामराम, ग्राम/पोस्ट - कासिमपुरा, बाघा बागड, जिला झुंझुन, तत्काल पटवारी, पटवार हल्का हेतुसुवाल, उपनिवेशन तहसील रामगढ़ - 2 जिला जैसलमेर। (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा, पोस्ट हथवा खारा, जिला झुं, तत्काल टीआरए, जिला प्रतापगढ़ (राज) (4) श्री सरदारमल शौजक पुत्र श्री मोहनलाल शौजक, निवासी बागीनाडा रोड, राणी धरियावद जिला प्रतापगढ़ (राज) (4) श्री सरदारमल शौजक पुत्र श्री मोहनलाल शौजक, निवासी बागीनाडा रोड, राणी निवासी धरियावद जिला प्रतापगढ़ तत्काल राजस्व लेखाकार दल सहायक प्रशासनिक अधिकांसी, तहसील कायनियम उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नं 2 जिला जैसलमेर (हेल सेवानिवृत्त) (3) श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नाथलाल जैन, जैसलमेर। (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा, पोस्ट हथवा खारा, जिला झुं, तत्काल टीआरए, कासिमपुरा, बाघा बागड, जिला झुंझुन, तत्काल पटवारी, पटवार हल्का हेतुसुवाल, उपनिवेशन तहसील रामगढ़ - 2 जिला राजस्व हेतु कतिरि करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पया जाता है। अतः (1) श्री हवालिसिंह पुत्र श्री रामराम, ग्राम/पोस्ट -

11.F-1/एकीकृत जांच फार्म-1

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पत्र कर सुनाई गई, सही दर्ज हुईं माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

complainant/informant free of cost.

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

District (जिला):

(4) Transferred to P.S.(थान):

OR (के कारण इकार किया, या)

(बॉच के लिए) :

(3) Refused investigation due to

No(सं.): to take up the investigation (को बॉच अपन पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) OR(या)

(2) Directed (Name of I.O.):

NARENDER  
KUMAR

Rank

अपर पुलिस अधीक्षक

OR (या)

(1) Registered the case and took up the investigation (पकटा दर्ज किया गया और बॉच के लिए लिया गया):

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (को गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

राज, जयपुर।

अधीक्षक-परी, अडवाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक बॉच 10/21) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, अडवाचार निरोधक ब्यूरो,

4- आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अडवाचार निरोधक ब्यूरो, वैसलमैर। 5 अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक, जयपुर। 2 उप महानिरीक्षक पुलिस, अडवाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

प्रतिनिधि: सूचनापत्र एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशेष न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, अडवाचार निवारण

सिद्धे बौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, अडवाचार निरोधक ब्यूरो, राज, जयपुर क्रमांक 1084-89 दिनांक 13.09.2024

पुलिस, अडवाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 214 पर अंकित है। (आन

सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गईं। अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

निवेशन तहसील रामगढ-2, जिला वैसलमैर होल सेवानिवृत्त एवं 31 बाभाश्रीगण एवं अन्य के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम

संरक्षक राजस्व एवं श्री मोहन लाल खोजक, निवासी बागीनाडा रोड रानी बाजार बीकानेर तत्कालीन तहसीलदार, उप

तहसील राजस्व बेछाकार होल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील काथालय धरियावद जिला प्रतापगढ, 4- श्री

वैसलमैर होल सेवानिवृत्त, 3- श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नाराय लाल जैन, निवासी धरियावद जिला प्रतापगढ तत्कालीन

शर्मा, निवासी पोस्ट दूधवा खारा जिला चूक तत्कालीन तहसील राजस्व बेछाकार उप निवेशन तहसील रामगढ-2, जिला

पटवार हल्का होसुवाला, उप निवेशन तहसील रामगढ-2, जिला वैसलमैर 2- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल

आरोपीगण 1- श्री देवासिंह पुत्र श्री रामराम, निवासी ग्राम पोस्ट कासिमपुरा बाया बगड जिला झुंझुन तत्कालीन पटवारी,

रिपोर्ट से जुड़े अनर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) अडवाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी एवं 193 भादसं में

सूचना रिपोर्ट श्री संग्राम सिंह भाटी, उप पुलिस अधीक्षक, अडवाचार निरोधक ब्यूरो, वैसलमैर ने प्रेषित की है। मजमून

निरोधक ब्यूरो वैसलमैर..... कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शूदा बिना नम्बरी प्रथम

बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमानुसंध प्रेषित है। भवदीय (संग्रामसिंह भाटी) उप अधीक्षक पुलिस अडवाचार

बाभाश्रीगण एवं अन्य के विरुद्ध अनर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) पी0सी एक्ट 1988 एवं धारा 120 बी, 193 भा.दं.सं. में

I.I.F.-I/एकीकृत बॉच फार्म-I

N.C.R./एन.सी.आर.बी

15. Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में भेषण की तिथि और समय):

[Empty box for date and time of dispatch to the court]

14. Signature/Thumb impression of the complainant / Informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signed by: Gyan Singh  
Choudhary  
Location: Rajasthan, India  
Date: 18/07/2024

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY  
Rank (पद): SP (Superintendent of Police)  
No(सं.):

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	BUILD (बनावट)	Height(cms.) (ऊँचाई.से.मी.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	Male	02/01/1968	4	5	6	7
2	Male	21/09/1952				
3	Male	04/05/1965				
4	Male	27/06/1956				

Deformities/ Peculiarities (विकृति/ विशेषताएं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habits (आदतें)	Dress Habits (पहनने की आदतें)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोलचाल)	Bum Mark (जखन छुए का स्थान)	Leucoderma (बबल रोग)	Mole (मस्का)	Scar (शर)	Tattoo (गूँदे छुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused. (यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी  
I.I.F.-1/एफ़ीएल वीच फार्म-1

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मर 7 संलग्नक):  
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen) (संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))